



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17402-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1071/1995

राम सकल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

:

लल्लन वर्मा, रविंद्र राय,

प्रतिवादी(ओं) के वकील

:

डीजीए, आर.आर. मौर्य,

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 20.02.2025 के अनुसार, एकमात्र अपीलकर्ता, राम सकल, का निधन हो गया है।
2. तदनुसार, अपील को समाप्त मानकर खारिज किया जाता है।
3. यदि विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसे इस आदेश की एक प्रति सहित संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

22 जनवरी, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।